• बीआरकेजीबी किसान क्रेडिट कार्ड योजना

1	**उद्धेश्य**	योजना का उद्धेश्य किसानों को एकल खिड़की के माध्यम से उनकी कृषि साख (उत्पादन एवं निवेश दोनों) आवश्यकताओं पूर्ति
2.	**पात्रता**	i. सभी कृषक –व्यक्तिगत/संयुक्त खातेदार जो कृषि भूमि के मालिक है। ii. किरायेदार कृषक, ओरल लिजिज व बटाईदार कृषक। iii. एस.एच.जी एवं किरायेदार , बटाईदार कृषकों के संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) ।
3	**वित्त की मात्रा**	5 वें वर्ष में फसलों के लिए अपेक्षित अल्पावधि साख एवं प्रस्तावित दीर्घावधि ऋण राशि का योग किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृति योग्य अधिकतम ऋण सीमा होगी।
4.	**अंशदान**	इसमें विभिन्न प्रयोजनों/उद्वेश्यों/योजनाओं हेतु बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अंशदान प्राप्त किया जाये।
5.	**ब्याज दर**	समय समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार लागू होगी एवं ये ब्याज दरे बैंक द्वारा समय–समय पर परिवर्तनीय होगी।
6.	**वैधता अवधि**	बीआरकेजीबी–किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि इसके जारी करने की दिनांक से 5 वर्ष की होगी, जो वार्षिक समीक्षा/नवीनीकरण के अधीन रहेगी।
7.	**पुनर्भुगतान अवधि**	अल्पावधि उत्पादन साख सीमा के खाते में आहरित प्रत्येक राशि आहरण से बारह महिने की अवधि में जमा हो जानी चाहिये, अर्थात कोई भी आहरण बारह माह से अधिक समय के लिए बकाया नहीं रहेगा तथा किसी भी समय खाते में नामें राशि को शून्य करने की आवश्यकता नही है।
8	**प्रतिभूति**	बैंक द्वारा कृषि ऋणों हेतु समय–2 पर लागू किये गये मानदण्ड़ों के अनुसार।
9	**सेवा प्रभार**	केसीसी ऋणों में बैंक द्वारा समय–समय पर निर्देशित दर से प्रोसेसिंग प्रभार वसूल किये जायेंगे।
10	**साख सीमा का निर्धारण**	➢ कृषक द्वारा बोयी जाने वाली फसल हेतु, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वित्तमान (स्केल ऑफ फाईनेन्स) + बीमा प्रीमियम (फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं आस्ति बीमा की राशि) X फसली क्षेत्र की सीमा + फसल कटाई के बाद वाले खर्चों/घरेलू/उपभोग आवश्यकताओं के लिए उक्तानुसार आंकलित ऋण सीमा का 10% + कृषि आस्तियों के रखरखाव खर्चों के लिए 20%। दूसरे व आगे के शेष वर्षों हेतु अल्पावधि फसली साख सीमा का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगा – ➢ प्रथम वर्ष हेतु उक्तानुसार निर्धारित अल्पावधि फसली साख सीमा + लागत/फसली वित्तमान में आयी वृद्धि के आधार पर शेष बचे प्रत्येक वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि + भविष्य में लिये जाने वाले ऋणों की राशि।